

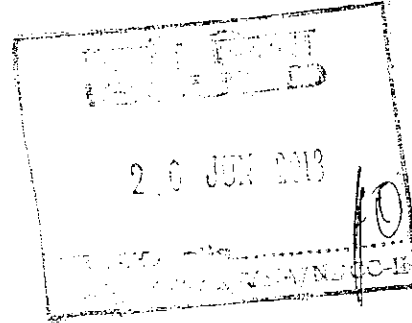
सं. 21/93/2013-एम एंड जी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

एन डी सी सी-11, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक: 19 जून, 2013

सेवा में

श्री राजीव रंजन,
मकान नं. 387, भू-तल,
मस्जिद मोठ, साउथ एक्सटेंशन-2,
नई दिल्ली-49

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मुहैया करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 13.5.2013 के आवेदन तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 23.05.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि इस मंत्रालय में इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास इस संबंध में प्रदान करने के लिए कोई सूचना नहीं है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार इस पत्र के विरुद्ध अपील श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस), गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-11 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली को की जा सकती है।

भवदीय,

(आशुतोष जैन)

निदेशक एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

21/05/13

सूचना पदाधिकारी सहोदय
प्रधानमंत्री कार्यालय,

URGENT	
ATTN:	
Dist. No.	9260
Ref. No.	13/05/13
Lab. No.	18/05/13
For. No.	

21/05/13 - 13 May 13

13 MAY 2013

DAK SECTION

म - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त है।

महोदय,

'सावनी' निवेदन यह है कि मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। मेरा प्रश्न इस प्रकार है,

प्रश्न - 1947 से लेकर 2012 के बीच भारत सरकार के द्वारा कितने CBI (Central Bureau of Investigation) के 'Retired DIRECTOR' का संवैधानिक पद (जैसे कि राज्यपाल, राजदूत, किसी शक्ति का आधिकार या किसी भी प्रकार का हो) दिया गया।

अतः प्रीमान से अनुरोध है कि मेरे प्रश्न का उत्तर पलक से पलक देने का कृपा करेंगे। इस पुणित कार्य के लिए मैं आपका शक्र आभारी रहूँगा।

पंकज ओडर का विस्तार

11F 068779

09/05/2013 04:10

3750832

आपका विश्वासी

राजीव रंजन (901586689)

सकाब संत-387, भूतल,
मस्जिद मोह, सराय हक्स-2

नई दिल्ली - 110049